न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 127/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. आसाराम पुत्र चिमनाराम 2. कैलाश पुत्र चिमनाराम 3. लक्ष्मणराम पुत्र चिमनाराम जातियान सरगरा निवासीगण गागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:–

1. श्री नरपतसिंह भायल अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 15/11/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व 2 व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 1/27–1/27 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। जिसमें वादी संख्या 2 का नाम कैलाशनन्दु पुत्र चिमनाराम दर्ज है। वादी संख्या 1 का नाम आसाराम पुत्र चिमनाराम दर्ज है। वादीगण व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 224 पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407, 421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 आयी हुई स्थित है, उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/48–1/48 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 का नाम अशोक, वादी संख्या 2 का नाम केवल, वादी संख्या 3 का नाम तिलाराम दर्ज है। वादस्थ कृषि भूमि वादीगण का नाम घरेलू नाम अशोक, केवल, तिलाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम है। वादीगण के परिवार कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहिचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात में हमारा नाम आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम है। अशोक, केवल, तिलाराम के नाम से वादीगण को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है, जबकि वादीगण का वास्तविक नाम आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम है। हम वादीगण को राजस्व रेकर्ड की कोई जानकारी नही थी। जबकि हमारा परिवार में हमारे

उपखण्ड अधिका
सोजत (राज.

अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है। उक्त कृषि भूमि हम वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई तथा ग्राम गागुड़ा में स्थित अन्य कृषि भूमि के खसरा नबंर 1021, 1024, 1025, 1026, 942, 943, 944 में हम वादीगण का सही व वास्तविक नाम दर्ज है। हाल ही में हम वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 10/08/2022 को प्राप्त करने पर वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हम वादीगण का घरेलू नाम दर्ज है, उससे पूर्व वादीगण को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम कैलाशनन्दु, अशोक, केवल, तिलाराम के स्थान पर आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। बिनायदावा वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 10/08/2022 को प्राप्त करने से एवं वादीगण को राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी होने से बिनायदावा उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 के पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 तथा वर्तमान खाता संख्या 224 के पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407, 421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हम वादीगण का नाम कैलाशनन्दु, अशोक, केवल, तिलाराम दर्ज के स्थान पर आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम करने हेतु रेकर्ड दुरुस्त किया जाकर हम वादीगण का नाम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जवाब तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा गागुड़ा में होना स्वीकार किया है। पैरा संख्या 02 से 06 वादीगण द्वारा स्वयं सिद्ध किये जाने व पैरा संख्या संख्या 07 से 09 कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात में विवादग्रस्त कृषि भूमि 937, 938, 939, 940 की जमाबंदी, खसरा नंबर 384 से 407, 421 की जमाबंदी की प्रति0, वादीगण के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, स्कूल टी0सी0, जॉब कार्ड की प्रति ,आदि दस्तावेजात पेश किए। जो सामिल मिसल है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 के पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 तथा वर्तमान खाता संख्या 224 के पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम कैलाशनन्दु, अशोक, केवल, तिलाराम दर्ज के स्थान पर आसाराम, कैलाश व लक्ष्मणराम करने हेतु रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण का नाम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईस्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 खसरा नबंर 1021, 1024, 1025, 1026, 942, 943, 944 की पेश की है जिसमें वादीगण का सही व वास्तविक नाम दर्ज है। वादीगण अन्य राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुरूप अपना नाम सही रूप से दर्ज करवाना चाहते है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, स्कूल टी0सी0, जॉब कार्ड की प्रति में भी वादीगण का नाम आशाराम कैलाश व लक्ष्मणराम दर्ज है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 के पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 में कैलाश नन्दु के स्थान पर कैलाश तथा वर्तमान खाता संख्या 224 के पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407, 421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अशोक पुत्र चिमनानाम के स्थान पर आसाराम पुत्र चिमनाराम, केवल पुत्र चिमनाराम के स्थान पर कैलाश पुत्र चिमनाराम तिलाराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र चिमनाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 के पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 में कैलाश नन्दु के स्थान पर कैलाश तथा वर्तमान खाता संख्या 224 के पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407, 421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अशोक पुत्र चिमनानाम के स्थान पर आसाराम पुत्र चिमनाराम, केवल पुत्र चिमनाराम के स्थान पर कैलाश पुत्र चिमनाराम तिलाराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र चिमनाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित

सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

किया जाता है। तदानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/11/2... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तादाई

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण

1. आसाराम पुत्र चिमनाराम
2. कैलाश पुत्र चिमनाराम
3. लक्ष्मणराम पुत्र चिमनाराम जातियान सरगरा निवासीगण गागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 127/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री नरपतसिंह भायल तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा गागुड़ा पटवार हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 413 के पुराना खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 937 से 940 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.7500 है0 में कैलाश नन्दु के स्थान पर कैलाश तथा वर्तमान खाता संख्या 224 के पुराना खाता संख्या 219 के खसरा नंबर 384 से 407, 421 कुल खसरा 24 कुल रकबा 14.5600 है0 की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अशोक पुत्र चिमनानाम के स्थान पर आसाराम पुत्र चिमनाराम, केवल पुत्र चिमनाराम के स्थान पर कैलाश पुत्र चिमनाराम तिलाराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र चिमनाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/11/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.